

फ्रंट रनिंग और इनसाइडर ट्रेडिंग

स्रोत: इकॉनोमिक टाइम्स

हाल ही में भारत में **भारतीय प्रतभूति और वनिमिय बोर्ड (Securities and Exchange Board of India- SEBI)** द्वारा एक म्यूचुअल फंड की संदगिध **फ्रंट-रनिंग** के लिये जाँच की जा रही है।

- **भारतीय प्रतभूति और वनिमिय बोर्ड (पारस्परिक नधि) वनिमिय, 1996** के तहत **फ्रंट-रनिंग या टेलगेटिंग** एक अवैध गतविधि है, जिसमें फंड मैनेजर मूल्य में होने वाले अपेक्षित परिवर्तनों से लाभ अर्जति करने के लिये बड़े आगामी व्यापार के स्टॉक का पहले से ही क्रय कर लेता है।
 - ऐसा तब होता है जब **कोई व्यक्ति (भेदिया अथवा दलाल) अग्रमि जानकारी** की सहायता से दूसरों से पहले स्टॉक का क्रय कर लेता है।
- **इनसाइडर ट्रेडिंग** तब होती है जब किसी कंपनी में नहिति स्वार्थ वाला कोई व्यक्ति व्यापार (स्टॉक का क्रय) करने के लिये **गैर-सार्वजनिक जानकारी** का उपयोग करता है।
 - **इनसाइडर ट्रेडिंग** में प्रायः **कंपनी के अधिकारी या कर्मचारी** शेयर बाज़ार में लाभ प्राप्त करने के लिये कंपनी की गोपनीय जानकारी का अनुचति उपयोग करते हैं।
 - वहीं **फ्रंट-रनिंग** में प्रायः **फंड मैनेजर या ब्रोकर** अपने ग्राहकों द्वारा किये जाने वाले आगामी ट्रेडों के बारे में अपनी जानकारी का लाभ उठाते हैं।
- भारत में, **SEBI अधिनियम, 1992** के तहत इनसाइडर ट्रेडिंग प्रतबिधति है। SEBI ने **SEBI (भेदिया व्यापार का प्रतबिध) वनिमिय, 2015** की स्थापना की है, जो इनसाइडर ट्रेडिंग की रोकथाम करने और प्रतबिधति करने के नयिमों की रूपरेखा तैयार करता है।
- ये प्रथाएँ **नविशकों की वतितीय बाज़ारों की नषिपक्षता और पारदर्शति में वशिवास** को कम करती हैं।

और पढ़ें: [म्यूचुअल फंड और भारत की उभरती अर्थव्यवस्था](#)